संख्या–2927/1–10–2008–12(73)/2008

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग –10 लखनऊ दिनांक 29 मई, 2008

विषयः– प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में सामूहिक कूपों को गहरा करने हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2 के पत्र संख्या–2272/62–2–2008 दिनांक 14 मई, 2008 पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय राहत आपदा समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2008 मे लिए गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007–08 में सूखे से प्रभावित जनपदों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 300 सामूहिक कूपों को गहरा करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 90,00,000/– (रुपये नब्बे लाख मात्र) की धनराशि निम्नांकित जनपदों हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित ब्लास्ट कूपों की संख्या	इकाई लागत (लाख रू0)	लागत (लाख रू0)
1	ललितपुर	100	0.30	30.00
2	महोबा	50	0.30	15.00
3	चित्रकूट	50	0.30	15.00
4	मिर्जापुर	50	0.30	15.00
5	सोनभद्र	50	0.30	15.00
	योग	**300**	-	**90.00**

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय –42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

C/Manoj/Allot-05(2)

3. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में सूखे से प्रभावित जनपदों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रू0 30,000/- प्रति इकाई की दर से 300 सामूहिक कूपों को गहरा करने हेतु व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि की धनराशि से तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य पेयजल योजना हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि की सूची मा0 जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

5. **मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से जॉच टीम गठित करेंगे** तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जॉच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करा दिया जाय।

6. उक्त आवंटित धनराशि विभाग की मॉग पर जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करते हुये आहरित की जायेगी कि आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग दिनांक 30 जून, 2008 तक अनिवार्य रूप से हो जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार विभागों को धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या-जी0आई0-134/1-11-2007-46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशो के अधीन किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

9. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या -1693/1-11-2005-रा0-11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा

आवंटित धनराशि में से यदि बचतें सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2008 तक अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित कर दिया जाय।

10. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड –5 भाग –1 के प्रस्तर –369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या–2927 (1)/1–10–2008–12(73)/2008 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्र0शासन।
3. मण्डलायुक्त, झाँसी ,चित्रकूट धाम एवं मिर्जापुर।
4. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5।
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग –6/11/राहत आयुक्त की वेबसाइट के उपयोग हेतु।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर गाहत)
विशेष सचिव

C/Manoj/Allot-08(2)